न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—270/2021/225आर.टी.एक्ट (2021/270)

1. चौथमल पुत्र काना
2. कैलाश पुत्र काना
3. छोटी पुत्री काना
4. रतन पुत्र काना
5. शैतान पुत्र काना

   स्मसत जाति माली, निवासी ग्राम दांता तहसील व जिला अजमेर।
6. भैरू पुत्र बख्तावर
7. शिवलाल पुत्र बख्तावर

   जाति गुर्जर निवासी ग्राम दांता तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये सचिव।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, महोदय अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 29.10.2021, अन्तर्गत प्रकरण संख्या 2/2020 बउनवानी चौथमल वगेराह बनाम अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र सिंह चौहान, अभिभाषक अपीलांटस।
2. श्री हरिसिंह गुर्जर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 02.

निर्णय

दिनांकः—23.08.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी,अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2020 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांटस की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात ग्राम दांता तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है।जो निम्न प्रकार हैः— खसरा नम्बर 634 रकबा 0.41, खसरा नम्बर 635

रकबा 0.46, खसरा नम्बर 636 रकबा 0.43, खसरा नम्बर 637 रकबा 0.39, खसरा नम्बर 638 रकबा 0.02, खसरा नम्बर 639 रकबा 0.03, खसरा नम्बर 640 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 641 रकबा 0.07, खसरा नम्बर 642 रकबा 0.09, खसरा नम्बर 643 रकबा 0.12 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 2.12 है.। अपीलांटस के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 634 के उत्तरी कोने से लगते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के खसरा नम्बर 633, 632, 617, व 616 में से होते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के खसरा 604 में से होते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के खसरा नम्बर 603/3276 में से होते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के खसरा नम्बर 599 से होते हुए ग्राम की ही मुख्य सड़क से वर्षो से अपीलांटस अपने खेतो में आते–जाते है, जो कि वर्तमान मे अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम दर्ज है तथा अपीलांटस वर्तमान में अपने खसरा नम्बर 634 तथा उसके साथ सलंग्न अन्य खातेदारी के खसरा नम्बर में अपने अन्य खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात मे पीढ़ियो से आते–जाते रहे है एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है एवं आज भी अपीलांटस इसी रास्ते का आवागमन में इस्तेमाल करते आ रहे है। रेस्पोडेन्टस उक्त कदीमी रास्ते को बंद करवाने पर आमादा है। जिसमें यदि वह सफल हो गये तो अपीलांटस के परिवार का अपने कृषि से सम्बन्धित उपकरण, सम्बन्धित साधनों का आवागमन बंद हो जायेगा जिससे अपीलांटस को ग्राम के मुख्य रास्ते की पूर्वी दिशा में लगते हुए खसरा नम्बर 599, 603/3276, 604 व 616 में से होते हुए खसरा नम्बर 616 के दक्षिण से लगते हुए खसरा नम्बर 617, 632 व 633 में से अपीलांटस की खातेदार की भूमि खसरा नम्बर 634 तक 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रदान किया जाना न्यायोचित है। उक्त कदीमी रास्ता रहा है जो पूर्व में अपीलांटस के पूर्वजो के समय से अपीलांटस उपयोग एवं उपभोग में लेते आ रहे है लेकिन नक्शा ट्रेस एवं अधिकार अभिलेख में रास्ता दर्शित नही है जिससे उक्त रास्ता अपीलांटस को प्रदान किया जाकर अधिकार अभिलेख में एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम की जाकर रास्ता अंकित किया जाना न्यायोचित है। जिस हेतु अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय के निर्देशानुसार भूमि की कीमत अदा करने हेतु तत्पर है। उक्त आशय का राजस्व प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किए जाने का आदेश प्रदान किया तत्पश्चात उक्त पत्रावली को कोर्ट कैम्प दांता में सुनवाई नियम की जाकर दिनांक 29.10.2021 को अविधिक रूप से अपीलांट के उक्त प्रार्थना–पत्र को निरस्त किऐ जाने आदेश पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांटस ने मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलांटस की खातेदारी काश्तकारी में आने–जाने हेतु चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था तथा अपीलांटस की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात में आने–जाने हेतु उक्त रास्ता ही समुचित एवं विधिक था तथा अपीलांटस अपनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात में उक्त कदीमी रास्ते को अपने पूर्वजों के समय से ही काम में ले रहे थे तथा वर्तमान में भी अपीलांटस अपने उक्त रास्ते से अपने खेतो एवं काश्तकारी की आराजी में आ जा

रहा है तथा इसके अलावा अपीलांटस के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है, के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यो को नजर अन्दाज कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को निरस्त किये जाने के आदेश पारित कर दिया जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात बाबत् मौका रिपोर्ट तलब की गई थी तथा उक्त मौका रिपोर्ट बनाते समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा अपीलांट को बिना सूचना दिये एवं अपीलांट की बिना उपस्थिति में केवल कार्यालय में बैठकर ही फोर्मल रूप से सम्पादित कर दी इस प्रकार से उक्त अविधिक मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2021 को अपीलांट के उक्त प्रार्थना–पत्र को निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया जिससे उनका आदेश काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प दांता में ले जाकर केवल नम्बर बढ़ाने के उद्देश्य से अपीलांट के उक्त प्रार्थना–पत्र को आनन–फानन में निरस्त किए जाने का आदेश दिनांक 29.10.2021 को पारित कर दिया जो काबिल निरस्त योग्य है। चाहे गये रास्ते की भूमि को किसी भी प्रकार से अन्य कार्य हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया था और ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजीयात बाबत् कोई लिखित में आवंटन अथवा प्रस्ताव इत्यादि प्रस्तुत हुआ था, इसके बावजूद भी रास्ते बाबत् को निरस्त किया गया। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2021 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांटस का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251क राज. काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किऐ जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि विवादित आराजी जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा दिनांक 27.9.2013 को अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तातंरित की गई है जो बहैसियत स्वत्वाधिकार काबिज चला आ रहा है इसलिए प्रार्थीगण/अपीलांटस को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुती का कोई अधिकार निहित नही होने से प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें।

6. विद्धान राजकीय अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट संख्या 02) ने दौराने जवाब/बहस अपील में निवेदन किया कि भू–निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.03.2021 के अनुसार प्रस्तावित आराजी पर आवागमन हेतु पाल पर एवं खेतो के मध्य से होकर जाते लेकिन खातेदारो द्वारा रास्ता वर्तमान में बंद कर दिया है। अपीलांटस उक्त बंद रास्ते खुलवाने हेतु तहसीलदार के समक्ष पृथक से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है तथा उक्त बंद रास्ते को खुलवाया जा सकता है। अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के खसरा नम्बर 599 रकबा 1.99 है0 का खेल मैदान हेतु रा0मा.विद्यालय, दांता हेतु प्रस्तावित की हुई है। इस प्रकार अपीलांटस के द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

7. अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन नया रास्ता स्वीकृत करने हेतु दो बाते आवश्यक है–1. आवश्यकता आत्यान्तिक होनी चाहिए न कि केवल सुविधा तथा 2. वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही होना चाहिए– तहसीलदार अथवा भू.अ.नि. से कम स्तर का व्यक्ति नहीं द्वारा मौका निरीक्षण आवश्यक है। अपीलांटस के द्वारा प्रस्तुत रास्ते बाबत् प्रार्थना–पत्र मे प्रस्तावित रास्ते

के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है एवं भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है। अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के खसरा नम्बर 599 रकबा 1.99 है0 का खेल मैदान हेतु रा0मा.विद्यालय, दांता हेतु प्रस्तावित है। अपीलांटस/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षकारान को जवाब/सुनवाई कर एवं मौका रिपोर्ट तैयार कर विधिवत् रूप से आदेश पारित किये है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यक प्रतीत नहीं है। अपील अपीलांटस खारिज योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 2/2020 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2021 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर